

**राजस्थान सरकार**  
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**  
**(पंचायती राज विभाग)**

कमांक:-37( )परावि/प्रशा2./मंत्रा/स्था-प्रथम/2019/264) जयपुर दिनांक 31/12/20

**::आदेश ::**

निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाते हैं:-

क. सं.	नाम	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1	रुकमा देवी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पंचायत समिति आमेट, जिला राजसमंद	पंचायत समिति नवलगढ़, जिला झुंझुनूं
2	हुकम चन्द महावर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पंचायत समिति सायरा (उदयपुर)	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पंचायत समिति मांगरोल (बारां)
3	रजाक मोहम्मद	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	जिला परिषद उदयपुर	जिला परिषद बारां
4	राजू देवी	सहायक कर्मचारी	प.स.- जसवंतपुरा, जालौर	जिला परिषद जोधपुर

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

- उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
- यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
- यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
- यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।

(विजयपाल सिंह-1)

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव-1

**प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-**

- निजी सहायक, संयुक्त सचिव (एलटी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
- एसीपी मुख्यालय, जयपुर को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने बाबत।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सम्बन्धित।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
- सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, द्वारा जिला परिषद/पं.स।

अतिरिक्त आयुक्त एवं  
संयुक्त शासन सचिव-1